

कार्यालय: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश
एल्डेको कॉर्पोरेट टावर, प्रथम तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ

कोटेशन संख्या: 1231 /कंप्यूटर कन्ज्यूमेबल/2017-2018

दिनांक: 17-8-2017

कोटेशन सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा मिशन कार्यालय के अंतर्गत कंप्यूटर कन्ज्यूमेबल की व्यवस्था हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों से "सीलबन्द कोटेशन" आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक पंजीकृत फर्म अपने सीलबन्द कोटेशन जिसके ऊपर "कंप्यूटर कन्ज्यूमेबल की आपूर्ति" लिखा गया हो को दिनांक: 20/8/17 को अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय में रखे कोटेशन बॉक्स में उपलब्ध कराएँ।

उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नवत है :

S. No.	Item	Unit
1	DVD - R (Mouserbear/Sony)	Each
2	DVD - RW (Mouserbear/Sony)	Each
3	Pen Drive 8 GB (Sandisk/ HP)	Each
4	Pen Drive 16 GB (Sandisk/ HP)	Each
5	Pen Drive 32 GB (Sandisk/ HP)	Each
6	Pen Drive 64 GB (Sandisk/ HP)	Each
7	Computer Duster - Big	Each
8	Ricoh Toner SP111	Each
9	HP Laserjet Toner 88A	Each
10	HP Laserjet Toner 12A	Each

तकनिकी भाग - अ में निम्न दस्तावेज़ रखे जाने होंगे:

- 1) फर्म के आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति।
- 2) फर्म के जी० एस० टी०/ वैट/ सेवाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
- 3) वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ अथवा २०१६-२०१७ के आयकर रिटर्न की प्रति।
- 4) वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ अथवा २०१६-२०१७ के जी० एस० टी०/ वैट/ सेवाकर रिटर्न की प्रति।

वित्तीय भाग - ब

दरों का प्रस्ताव


S. No.	Item	Unit	Rate per unit including taxes
1	DVD - R (Mouserbear/Sony)	Each	
2	DVD - RW (Mouserbear/Sony)	Each	
3	Pen Drive 8 GB (Sandisk/ HP)	Each	
4	Pen Drive 16 GB (Sandisk/ HP)	Each	
5	Pen Drive 32 GB (Sandisk/ HP)	Each	
6	Pen Drive 64 GB (Sandisk/ HP)	Each	
7	Computer Duster - Big	Each	
8	Ricoh Toner SP111	Each	
9	HP Laserjet Toner 88A	Each	
10	HP Laserjet Toner 12A	Each	

फर्म का नाम:

मोहर तथा हस्ताक्षर:

नियम एवं शर्तें

- 1) फर्मों को जी० एस० टी०/ वैट/ सेवाकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 2) फर्मों को आयकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
- 3) वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ अथवा २०१६-२०१७ के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
- 4) वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ अथवा २०१६-२०१७ के वैट/ सेवाकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
- 5) इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु मिशन कार्यालय में प्रातः १०:०० बजे से शाम ५:०० बजे के मध्य (कार्यालय अवधि में) संपर्क किया जा सकता है।
- 6) फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गई दरें अनुबंध हस्ताक्षर होने की तिथि से मार्च २०१८ तक मान्य होंगी।
- 7) दरों में समस्त कर, आदि शामिल रहेंगे। अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- 8) दरों में उपलेखन/ कटिंग मान्य नहीं है।
- 9) एक फर्म द्वारा एक ही कोटेशन जमा किया जायेगा।
- 10) सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 11) यदि फर्म द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत सामग्री नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी दशा में फर्म के अनुबंध को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- 12) आपूर्ति के साथ चालान अवश्य भेजा जाना चाहिए।
- 13) आपूर्ति मानक के अनुसार न होने पर फर्म का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 14) मिशन निदेशक को समस्त अथवा कोई भी कोटेशन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 15) किसी भी विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।


संयुक्त मिशन निदेशक